कामरेड
ए. के. गोपालन

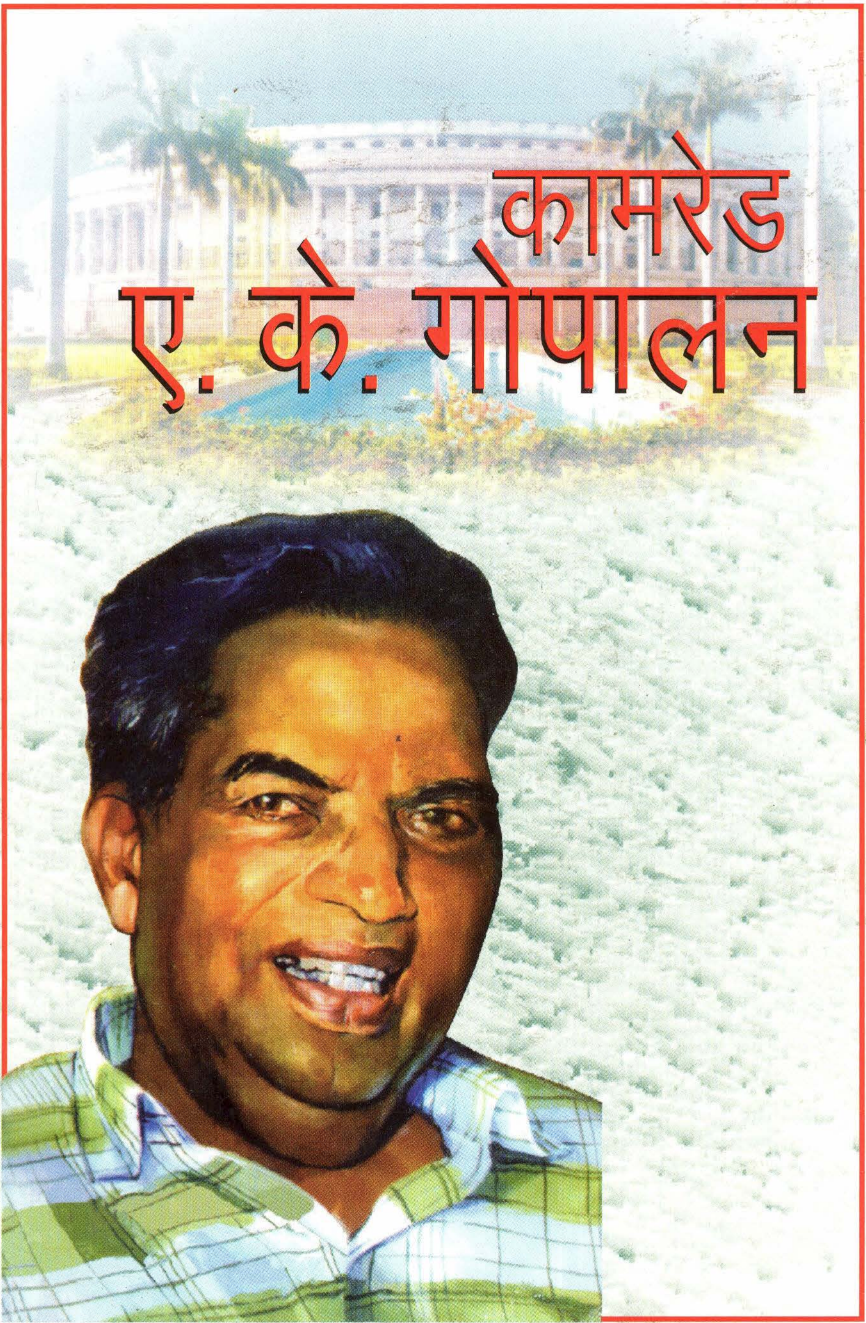

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर 2004

कामरेड ए. के. गोपालन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर 2004

9–लार्डिस (पार्लि.)/2004

© 2004 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

कामरेड ए. के. गोपालन एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, मानव अधिकारों और गरिमा के समर्थक, पक्के राष्ट्रवादी और उत्कृष्ट सांसद, देश में साम्यवादी आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक तथा इन सबसे बढ़कर एक अति सहृदय व्यक्ति और श्रमिक वर्ग के लोकप्रिय नेता थे। वह एक महान सामाजिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जाति तथा वर्गरहित समाज का निर्माण करने के लिए अथक प्रयास किए तथा सदैव दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे।

यह कृतज्ञ राष्ट्र 10 दिसम्बर 2004 को ए के जी के नाम से लोकप्रिय कामरेड गोपालन की स्मृति में सम्मान व्यक्त कर रहा है जब माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह संसद भवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा लगाने की पहल लोक सभा की सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति द्वारा की गई है।

कामरेड ए के जी की कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार, श्री कुन्हीमंगलम नारायणन ने बनायी है, जो 9 फुट ऊंची है। यह प्रतिमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा भेंट की गई है।

इस अवसर पर, लोक सभा सचिवालय यह पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है जिसमें कामरेड ए के जी का संक्षिप्त जीवनवृत्त, हमारे राष्ट्रीय जीवन के पहलुओं के बारे में उनके विचार और उनके कुछ चुनिंदा चित्र दिए गए हैं। ए के जी के जीवन और काल के बारे में लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगायी जा रही है।

हम माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी के आभारी हैं जिन्होंने इस समारोह के आयोजन में गहरी रुचि ली और मूल्यवान मार्गदर्शन किया।

हम *देशाभिमानी* के भी आभारी हैं जिन्होंने हमें 2002 में प्रकाशित ए के जी स्मारिका के कतिपय चित्रों को इस पुस्तिका में प्रकाशित करने की अनुमति दी।

यह प्रकाशन कामरेड ए. के. गोपालन की स्मृति में एक विनम्र श्रद्धांजलि है। हमें आशा है कि यह प्रकाशन सभी के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा।

नई दिल्ली
दिसम्बर 2004

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

विषय-सूची

पृष्ठ

आमुख .... (i)

कामरेड ए. के. गोपालन—जीवनवृत्त

प्रारम्भिक जीवन 1

स्वदेशी अभियान 1

मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 3

कन्नूर-मद्रास पदयात्रा 5

साम्यवादी दल और कामरेड ए के जी 6

गोपालन बनाम मद्रास स्टेट मामला 8

मजदूर संघ नेता 9

सांसद के रूप में 11

बहुसर्जक लेखक 13

श्रद्धांजलि 14

कामरेड ए.के. गोपालन–चित्रात्मक झांकी 17

कामरेड ए. के. गोपालन

-जीवनवृत्त-

कामरेड ए.के. गोपालन

कामरेड ए. के. गोपालन भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य संस्थापक और वामपंथी तथा लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य प्रणेताओं में से एक थे। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रमिकों तथा पददलितों के हितों के पैरोकार, एक सशक्त वक्ता, दूरदृष्टा और सर्वोपरि, वह महान मानवीय गुणों का मूर्त रूप और एक जनप्रिय नेता थे। उन्होंने असाधारण उत्साह और जोश के साथ सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया और वह देश के उन उत्कृष्ट नेताओं में थे जिन्होंने अभावग्रस्त लोगों के उत्थान और बेहतरी के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक प्रतिबद्ध क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने पीड़ित जनसामान्य को विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त कराने के लिए जीवनभर अथक परिश्रम किया। अपने मित्रों और अनुयायियों में 'ए.के.जी.' के नाम से विख्यात, गोपालन का उनके लाखों देशवासियों जिनमें उनके प्रशंसक और विरोधी दोनों शामिल थे, द्वारा सम्मान किया जाता था।

प्रारम्भिक जीवन

कामरेड एलियात कुटिटयारी गोपालन का जन्म 1 अक्तूबर, 1904 को केरल में नार्थ मालाबार के उप जिला चिरक्कल के मविलाई में मखेरी गांव में हुआ था। उनके पिता, श्री वी.के. रायरु नम्बियार अपने समय के प्रतिष्ठित और विख्यात समाज सुधारक थे। उनकी माता एक साधारण गृहिणी थी। वह अपने पिता और भाई, दोनों से काफी प्रभावित थे और उनकी ही प्रेरणा से युवा गोपालन ने सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया।

गोपालन ने तेलीचेरी में मिशन हाई स्कूल में और बाद में ब्रेनेन कालेज में पढ़ाई की। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात्, उन्होंने विभिन्न स्कूलों में लगभग सात वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने 10 सितम्बर, 1952 को एक कम्युनिस्ट नेत्री, संसद सदस्या और केरल की कैबिनेट मंत्री सुशीला गोपालन से विवाह किया। गोपालन दम्पत्ति की एक ही पुत्री, लैला थी।

स्वदेशी अभियान

गोपालन जिस दौरान एक शिक्षक थे उसी समय भारतीय राजनैतिक माहौल महात्मा गांधी के नेतृत्व में गरमा रहा था। वस्तुतः, एक विद्यार्थी के रूप में भी गोपालन विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े रहे। वर्ष 1920 के दशक के उतरार्द्ध

में, वह खादी के संदेश का प्रसार करने और लोगों को विदेशी कपड़ों और सामान का बहिष्कार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से जुटे रहे। अवकाश के दिनों में वे खादी और स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु गांवों का दौरा करते थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।

विश्लेषणात्मक बुद्धि के धनी के रूप में विख्यात ए.के.जी. उन दिनों में भी, विदेशी शासन के कारण लोगों को जिन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे अवगत थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत में औद्योगिक विकास ब्रिटिश सरकार की विनाशकारी टैरिफ नीति के कारण अवरुद्ध हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि भारत साम्राज्यवादी हितों के लिए मात्र सामान का उत्पादन करने वाला देश है और इस तंत्र द्वारा समस्त देश और जनता को लूटा जा रहा है। इस तरह युवा गोपालन ने विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की वकालत की। उन्होंने महसूस किया कि यह राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। उनका मत था कि विदेशी सामान के बहिष्कार और स्वदेशी के वरण से ही इस राष्ट्र और जनता की आर्थिक दुर्दशा को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इससे भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार, विशेष रूप से देश में विदेशी कपड़े के व्यापार के जिस बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने मध्यमवर्गीय परिवारों में चर्खा शुरू करने की भी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गांवों में खादी की कताई की व्यवस्था कराई और घरों में खादी सूत की शुरूआत की। उन्होंने कहा था:

> ''मैंने खादी के प्रचार-प्रसार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की ओर वर्ष 1928 में रुचि लेनी शुरू की। मैं अवकाश के दौरान खादी और स्वदेशी के प्रचार-प्रसार के लिए गांवों का दौरा किया करता था। मैंने मध्यवर्गीय परिवारों में चरखे का प्रचार किया, सूत काता और उसे मुख्यालय भेजा...... मुझे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि बिना संघर्ष के आजादी असंभव है और जब कभी आवश्यक हो, तो संघर्ष के लिए मुझे अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अलबत्ता, मैं जानता था कि यह आसान काम नहीं है। मैंने यह महसूस कर लिया था कि जिन हालातों में मैं रह रहा हूं, उसके विरुद्ध विद्रोह किए बगैर यह संभव नहीं होगा।''

ए.के.जी. ने जिन दो बातों अर्थात् बहिष्कार और स्वदेशी का समर्थन किया था, उससे यह बात सामने आई कि याचिका दायर करने से अधिक प्रभावी हथियार शांत विरोध है। इससे लोगों की राजनैतिक चेतना जागृत हुई और राष्ट्रवाद की भावना को

मूर्त रूप मिला। स्वदेशी और बहिष्कार से जुड़ी भावना ने जनता में काफी हद तक देश प्रेम जगा दिया। गोपालन के स्वदेशी अभियान ने विदेशी कम्पनियों को अपने स्वदेशी कपड़ा मिल, साबुन और माचिस बनाने की फैक्ट्रियां, हथकरघा और बुनाई के कारखाने आदि खोलने के लिए विवश कर दिया। इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। सरकार ने विद्यार्थियों को यातनाएं दीं और अनेक सरकारी संस्थाएं बंद कर दी गईं। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में स्थानीय स्कूल खुल गए।

वर्ष 1930 में राष्ट्र उद्वेलित था। जैसाकि ए.के.जी. ने अपनी आत्मकथा में लिखा है:

> ''मैं भारत में बह रही जबरदस्त क्रांतिकारी लहर से प्रभावित था। युवा लीग, श्रमिक संघ, क्रांतिकारी संगठनों, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियों, हड़तालों—इन सभी बातों ने मेरे मन में इनके प्रति सहानुभूति जगा दी। मेरे भीतर यह उत्कंठा प्रबल होने लगी कि सब कुछ छोड़ दूं..... केवल कभी-कभार सार्वजनिक क्रियाकलाप.... (और) अपना पूरा समय देश की सेवा में समर्पित कर दूं। मेरे निजी जीवन और मेरे आसपास की अशांत करने वाली घटनाओं के बीच भारी द्वंद्व शुरू हो गया। यह ऐसे अनसुलझे अन्तर्द्वन्द्व थे जिन्होंने वर्ष 1930 से पूर्व मुझे परेशान किया था।''

वर्ष 1930 में गोपालन ने श्री के. केलप्पन के नेतृत्व में कालीकट (कोझिकोड) से पायान्नूर जाने वाले जत्थे के स्वागत समारोह का आयोजन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में, उन्होंने अपने शिक्षण कार्य से त्यागपत्र दे दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने हेतु कालीकट चले गए। गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और कन्नूर सेंट्रल जेल में और उसके बाद वेल्लौर जेल में रखा गया। गांधी-इरविन समझौते के बाद, ए.के.जी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद लगभग छह माह के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संगठित करने के लिए वायनाड क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने अस्पृश्यता और इसी तरह की अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। वह पायान्नूर में कनडोत में अनुसूचित जातियों का एक जलूस उस सड़क से लेकर गए जिस पर उनके जाने की मनाही थी। ए.के.जी और उनके प्रदर्शनकारी साथियों पर उन लोगों ने हमला किया जो इस जलूस के विरुद्ध थे। इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं।

मंदिर प्रवेश सत्याग्रह

गोपालन वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे; वह जाति व्यवस्था के कटु आलोचक भी थे क्योंकि वह यह महसूस करते थे कि इस व्यवस्था ने भारतीय समाज को हजारों समूहों में बांट दिया है जिससे राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य असंभव हो रहा है। उनका

मानना था कि यह व्यवस्था न केवल अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण थी अपितु भारत की अधिकांश जनता के लिए निश्चित तौर पर अत्याचारपूर्ण थी। इसलिए, उन्होंने जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किये बिना व्यक्ति के विकास के लिए समान नागरिक अधिकार और समान स्वतंत्रता दिये जाने की बात कही। उन्होंने इस बात की भी वकालत की कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रदर्शनों और जन सभाओं में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जाति प्रथा कमजोर होगी। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित करने, उनके लिए स्कूलों और मंदिरों के द्वार खोलने, सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी भरने के लिए उन्हें समर्थ बनाने और वे लोग जिन सामाजिक दुराग्रहों और भेदभावों का शिकार हो रहे थे, उन्हें दूर करने की दिशा में काफी कार्य किया।

गोपालन ने उन लोगों की आलोचना की जो यह मानते थे कि ब्रिटेन की पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जाति प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो गयी है या बहुत अधिक कमजोर हो गयी है। इसके विपरीत, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वास्तव में अंग्रेजों ने इस अलोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह बात साम्राज्यवादी शासन के हित में थी कि लोगों को आपस में विभाजित ही रखा जाये ताकि वे ब्रिटिश शासन के अस्तित्व के लिए किसी तरह का खतरा न बन सकें।

इस बात को अच्छी तरह समझते हुए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आधार देश के विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच अलगाव, बिखराव, आपसी अविश्वास और संघर्ष का वातावरण पैदा करना है और जिसके लिए विदेशी शासकों ने सक्रिय रूप से प्रयास भी किए, ए.के. गोपालन ने छुआछूत और इसी तरह की दूसरी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी पहल पर ही, केरल प्रदेश कांग्रेस समिति ने 1931 में गुरूवयूर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से संबंधित संकल्प पारित किया। उस समय आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को गुरूवयूर मंदिर जाने वाली सड़क पर चलने तथा मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की मूर्ति के निकट नहीं जाने दिया जाता था। गोपालन ने अनुसूचित जाति के युवाओं के एक जत्थे के साथ इस संघर्ष में भाग लिया। वह स्वेच्छा से इस जत्थे की अगुवाई कर रहे थे। गुरूवयूर सत्याग्रह ने संपूर्ण भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और शीघ्र ही इस आन्दोलन की गूंज हर कहीं सुनाई दी। लोगों ने इस आन्दोलन में विशेष रुचि लेनी शुरू कर दी। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के कारण गोपालन को जनवरी, 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कठोर कारावास का दण्ड दिया गया लेकिन इसके बाद भी आंदोलन निर्बाध चलता रहा। इस आंदोलन ने पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक हलचल पैदा कर दी जिसके कारण सर्वत्र बदलाव की मांग उठने लगी। इस जत्थे का सर्वत्र इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया गया कि

ऐसा लगने लगा कि इससे छुआछूत की बुराई पर काफी हद तक प्रभाव पड़ा है। उनके स्वयं के शब्दों में:-

"जत्थे में शामिल हरिजन युवाओं ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उन्हें इस बात पर गर्व था कि वे सवर्णों की छत्रछाया में पलने बढ़ने वाले व्यक्ति मात्र नहीं थे। एक ऐसा वर्ग, जिसे सदियों से पैरों तले रौंदा जाता रहा, का प्रतिनिधि होने के नाते वे इस बात से प्रसन्न थे और गर्व का अनुभव कर रहे थे कि उन्हें दोषपूर्ण और अधम समाज के स्थान पर एक नयी सुन्दर सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए चलाये जाने वाले आन्दोलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे इस बात से खुश थे कि उन्हें लोगों को यह दिखाने का मौका मिला है कि हरिजन जंगल में रहने वाले कोई पशु नहीं हैं।"

इस आन्दोलन के कारण पिछड़े वर्गों में कई सामाजिक कार्यकर्त्ता पैदा हुए और इसने स्वर्ण हिन्दुओं के एक बड़े वर्ग में विभिन्न परम्परागत प्रथाओं से पैदा होने वाली असमानता के प्रति जागरुकता पैदा की। जेल से रिहा होने के बाद गोपालन गुरूवयूर वापस आ गये। बाद में उन्हें त्रावणकोर में पिकेटिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कन्नूर और बेलारी जेल में रखा गया। अपनी रिहाई के बाद सामाजिक समानता के दुर्जेय विजेता, गोपालन सभी तरह के अन्यायों के विरुद्ध निरन्तर संघर्षशील रहे। उन्होंने सामाजिक रूप से उत्पीड़ित और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक समानता और अवसरों में वरीयता दिये जाने की जोरदार वकालत की ताकि वे सदियों पुरानी यातनाओं से मुक्त हो सकें।

कन्नूर-मद्रास पदयात्रा

वर्ष 1934 में, केरल में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, गोपालन इस पार्टी के एक सक्रिय सदस्य बने। उसी वर्ष वह केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कोचीन और त्रावणकोर रियासतों का भी दौरा किया।

गोपालन ने अनुभव किया कि तत्कालीन भारतीय श्रमिक वर्ग मुख्यत: ऐसे निर्धन खेतिहरों और बर्बाद हो गये दस्तकारों का समूह है जिनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा है। चाहे उद्योग हों, कृषि हो, कारखाने हों या फिर खाने हों, लगभग सभी जगह श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और उन्हें बहुत ही खतरनाक और अस्वच्छ स्थितियों में काम करना पड़ता था और वस्तुत: उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था।

1930 के दशक के मध्य में कई नये-नये श्रमिक संघ अस्तित्व में आ रहे थे। उत्पीड़ित वर्गों में वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना ने अपनी जड़ें जमा ली थी। खेतिहरों और कामगारों के बीच एक नई तरह की वर्ग चेतना दिखायी दे रही थी। कारीगरों और खेतिहरों सहित श्रमिक वर्ग की दयनीय दशा को समझते हुए ए.के.जी. ने उत्पादन साधनों का सामाजीकरण और राष्ट्रीयकरण करने की वकालत की। वह इस बात के पक्षधर थे कि श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक दशाएं बेहतर हों और उन्हें भाषण करने, संगठित होने तथा यहां तक कि हड़ताल करने जैसी स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिकों की भागीदारी तथा जाति, वर्ण, नस्ल, समुदाय और धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त किये जाने के भी पक्षधर थे।

इसके साथ ही, ए.के.जी. ने यह बात भी महसूस की कि उनके समय की सबसे बड़ी समस्याएं निर्धनता, भूख और बेरोजगारी है। उस समय लोगों में बहुत अधिक निराशा व्याप्त थी। युवाओं में एक नये समाज की रचना करने की चाह थी। अत:, बेरोजगार संबंधी समिति सहित कई समितियां गठित की गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 1936 में गोपालन ने दूसरे साथियों के साथ तेलीचेरी के डिवीजनल अधिकारी के समक्ष भुखमरी के विरुद्ध एक प्रदर्शन और बेरोजगारी जत्थे का नेतृत्व करने का निश्चय किया। लोगों ने उनके इस आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। रास्ते में कई जनसभाएं हुईं। जत्थे का सब जगह बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ और रास्ते में कई लोग इस जत्थे में शामिल हो गये। अंतत:, यह जत्था 966 कि.मी. की पद यात्रा पूरी कर मद्रास पहुंचा। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। कन्नूर से मद्रास तक बेरोजगार और भूखे युवाओं के इस जत्थे का नेतृत्व करने के कारण ए के जी को नौ महीने के कारावास की सजा सुनायी गयी।

साम्यवादी दल और कामरेड ए के जी

ए.के.जी. एक प्रतिबद्ध जमीनी कार्यकर्त्ता तो थे ही, साथ ही वह तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति भी पूरी तरह से सजग और संवेदनशील थे। अत: शीघ्र ही उन्होंने कृषि और औद्योगिक श्रमिकों, साबुन फैक्ट्री के श्रमिकों, मछुआरों, बीड़ी श्रमिकों, पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों, निगम के श्रमिकों, इत्यादि के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं को इन श्रमिकों को संगठित करने के कार्य में भी लगा दिया। उनके स्वयं के शब्दों में:

> ''1938 तक मैंने किसानों और कामगारों के बीच कार्य किया और उनके संघर्ष में भाग लिया तथा मैं उनके और उनकी समस्याओं के बारे में अधिकाधिक जान पाया। मैंने भीतरी क्षेत्रों के किसानों की दयनीय दशा को नोट किया। मैंने पाया

कि गरीब किसान जो कि अपनी मेहनत की कमाई भूमिपतियों को दे देते हैं उनमें वर्ग संबंधी जागरूकता पैदा करना काफी सरल है। उन्हें स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं पता क्योंकि वे सदियों से उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। जब सगंठित कार्यों से उनकी कठिनाइयों में कमी आई तो उनमें एक नया आत्मसम्मान जागा और तब वे अपने उत्पीड़कों के सामने नहीं झुके।''

पूर्व के ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार के इतिहास में वर्ष 1938 काफी महत्वपूर्ण था। उस वर्ष ए.के.जी. ने राज्य द्वारा उत्पीड़न के विरुद्ध उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए प्रसिद्ध ट्रावनकोर जत्थे का नेतृत्व किया और जुलाई, 1938 में अलवई में गिरफ्तार किए गए। इससे पहले, अप्रैल में उन्होंने साप्ताहिक 'प्रभातम' के प्रबंधक के रूप में कार्य सम्भाला था। 'ट्रावनकोर जत्थे' के नेतृत्व के लिए हुई जेल से रिहाई के बाद वे 'प्रभातम' के लिए धन एकत्रित करने हेतु तत्कालीन सीलोन (श्रीलंका) और सिंगापुर की यात्रा पर गये। वापसी पर फिर कांग्रेस दल के सोशलिस्ट ग्रुप की गतिविधियों में संलग्न हो गए। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने को साम्यवादी आंदोलन, उसके नेताओं और कामगारों से अधिक सक्रिय रूप से जोड़ना शुरू किया। वर्ष 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पिनाराई में आयोजित बैठक, जिसमें ए.के.जी. और कामरेड पी. कृष्णा पिल्लै और ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद ने भाग लिया, में यह निर्णय लिया गया कि सोशलिस्ट पार्टी को साम्यवादी दल की एक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए भूमिगत हो कर कार्य करना आवश्यक था। अत: ए.के.जी. तथा अन्य बहुत से नेता भूमिगत हो गये।

आने वाले वर्षों में, साम्यवादी विचाराधारा में ए.के.जी. की दृढ़ निष्ठा और उनके उत्साह ने उन्हें देश में साम्यवादी आंदोलन के एक अग्रणी नेता के रूप में प्रतिष्ठा दिलायी। साम्यवाद के एक सिपाही के रूप में अपने सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन में उन्होंने स्वयं को उत्पीड़ित और दलित लोगों से पूरी तरह जोड़ लिया था, उनका विश्वास था कि साम्यवाद देश प्रेम का उत्कृष्ट रूप है। कुछ वर्षों के लिए उन्होंने कानपुर और बंगाल सहित केरल के बाहर के किसानों और कामगारों के बीच कार्य किया, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए ईंट के भट्टे में कार्य किया।

ए.के.जी. जो मार्च, 1940 में भूमिगत हो गये थे, एक वर्ष बाद मार्च, 1941 में गिरफ्तार हुए लेकिन सितंबर, 1941 में वे जेल से बच निकले और लगभग चार वर्षों तक भूमिगत रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने लगातार लोगों को संगठित करने तथा उन्हें समाज की वास्तविकताओं से अवगत कराने का कार्य किया। युद्धोपरांत साम्राज्यवादी लहर के कारण उन्हें फिर जेल जाना पड़ा और 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक वे जेल की सलाखों के पीछे थे। अक्तूबर, 1947 में वह जेल से रिहा हुए।

गोपालन बनाम मद्रास स्टेट मामला

दिसम्बर, 1947 में, उत्तेजक भाषण देने के आरोप में कामरेड गोपालन एक बार फिर गिरफ्तार हुए। उन्हें मद्रास मेन्टीनेन्स आफ पब्लिक आर्डर एक्ट, जो कि एक उपनिवेशवादी कानून था, के अंतर्गत निवारक अभिरक्षा में रखा गया ताकि नियमित मामले में विचारण न्यायालय द्वारा बरी हो जाने की स्थिति में भी उन्हें राज्य की अभिरक्षा से रिहाई न मिल पाये। यह बात अक्तूबर, 1949 की है। जनवरी, 1950 में भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया और पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा सरकार ने ए.के.जी. की अभिरक्षा का नवीकरण किया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी कि इस अधिनियम के उपबंधों से उस मूल अधिकार का उल्लंघन होता है जिसकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी निवारक नजरबंदी का नवीकरण कराया जाना दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि सरकार उनकी आपराधिक मंशा सिद्ध नहीं कर पायी; और उनकी निरन्तर नजरबन्दी गलत है क्योंकि वह पहले ही दो वर्ष से अधिक समय से बंदी थे। यद्यपि, उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को मान्य ठहराया और उनकी नजरबंदी का नवीकरण किया लेकिन भारत के संवैधानिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना रही जिसके द्वारा इस बात को मान्यता मिली कि अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। उनके अपने शब्दों में:—

> ''लेकिन न्यायालय ने विनिर्णय दिया कि यह अधिनियम संवैधानिक था। अत: यह पाया गया कि मेरी नजरबंदी भी विधि सम्मत थी। लेकिन न्यायालय ने घोषणा की कि इस अधिनियम का खंड 14 अवैधानिक था क्योंकि इससे नजरबंद व्यक्ति को उसकी अवैध नजरबंदी के विरुद्ध न्यायालय में जाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता था। उनका तर्क यह था कि इससे संविधान की धारा 22 और 33 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिलंघन होता है। इस निर्णय से निवारक नजरबंदी अधिनियम के अधीन पकड़े गये लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा में काफी सहायता मिली। यद्यपि इस कानूनी मामले से मेरी रिहाई नहीं हो पायी लेकिन यह इस दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि थी कि इससे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा उठाया गया। यद्यपि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय मेरे पक्ष में नहीं था, लेकिन मैं चुप बैठने को तैयार नहीं था। मैंने मद्रास उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर की। मेरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सत्यनारायण राव ने की। मैंने अपने मामले की स्वयं वकालत की। इस मामले की बहस को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुनवाई के आखिरी दिन

न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया। रिहाई के बाद न्यायालय के दरवाजे पर ही मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे फिर से कुड्डालोर जेल ले जाया गया। मैंने फिर से एक अन्य याचिका दायर की, जिस पर मेरी पुनः गिरफ्तारी के दो दिन बाद सुनवाई हुई। न्यायालय ने मुझे फिर रिहा कर दिया। न्यायाधीशों ने विशेष रूप से पुलिस को मुझे न छूने का आदेश दिया। पुलिस को इस आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे दिसम्बर, 1947 में जेल भेजा गया था और मैं 1951 में रिहा हुआ। इस प्रकार मैं चार साल जेल में रहा।''

वर्ष 1951 में ए.के.जी. अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने 1957 में संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात आंदोलन में भाग लिया और वह गुजरात में गिरफ्तार हुए। वर्ष 1958 में उन्होंने पंजाब में किसानों की बेहतरी के लिए लगाए गए शुल्क के विरुद्ध चलाए गए संघर्ष में भाग लिया।

कामरेड पी. कृष्णा पिल्लै, के. दामोदरन, एन.सी. शेखर और ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद के साथ ए.के.जी. ने केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। तत्कालीन मद्रास स्टेट में साम्यवादी आंदोलन के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। वर्ष 1958 में वे कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय सचिवालय के एक सदस्य बने। वर्ष 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ तो ए.के.जी. ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) के साथ रहने का निर्णय लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) के नेतृत्व में इसे जन आंदोलन बनाने और कड़ी मेहनत करने वालों, विशेषकर किसानों और खेतिहर मजदूरों, का जन संगठन बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कामरेड गोपालन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने दल के प्रमुख निकायों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्ष 1964 में भाकपा (मा.) की केन्द्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के लिए चुने गये और जीवनपर्यन्त वह उन पदों पर बने रहे।

मजदूर संघ नेता

कामरेड ए.के.जी. समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब और किसानों के संरक्षक और महान समर्थक थे। उन्होंने उनके विकास और उत्थान के लिए संघर्ष किया तथा कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सख्ती से कार्यान्वयन, उनके नियमित रोजगार, जीवन स्तर और कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाने के लिए कानून बनाने की मांग की। उनका मानना था कि उनकी स्थिति में सुधार के बिना ग्रामीण विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

स्वतंत्रता आंदोलन के चलते उत्तरी केरल में मालाबार क्षेत्र के बीड़ी श्रमिकों में आंदोलनकारी और लोकतान्त्रिक चेतना पनपी। ये श्रमिक गरीबी और शोषण की दशा में कार्य कर रहे थे। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उन्हें असुरक्षा भरी स्थितियों का सामना करना पड़ता था। कामरेड गोपालन ने इन श्रमिकों से जुड़कर उनकी चेतना को जगाया और उनकी राजनैतिक जागरूकता को बढ़ाया।

ए.के.जी. मजदूर संघों और किसान आंदोलन दोनों से ही जुड़े हुए थे लेकिन वह किसान आन्दोलन के साथ अधिक निकटता रखते थे। एक बार उन्होंने लिखा था:

> "यही वह कार्य है जो मुझे जन-साधारण से जोड़े हुए है और मुझे उनके अनुभवों से सीखने की सामर्थ्य देता है। कृषि क्षेत्र से जुड़े गरीब और भूमिहीन लोगों की दुर्दशा मुझे विशेषरूप से चिंतित करती है। वे अभी सर्वाधिक दयनीय गरीबी, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण के बोझ तले दबे हैं। लेकिन वे हमारी जनता का सर्वाधिक जुझारू वर्ग है और श्रमिक वर्ग के पक्के साथी हैं। गत कई दशकों से मेरा जीवन इन्हीं दो वर्गों को समर्पित रहा है।"

ए.के.जी. अपने जीवनकाल के अंतिम दो दशकों से अधिक समय तक अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने वर्ष 1960 में कासरगौड से त्रिवेन्द्रम तक कृषक जत्थे का नेतृत्व किया था। यह जत्था केरल में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अधिनियमित भूमि सुधार उपायों के विरुद्ध केन्द्र की नीति का विरोध कर रहा था। 1961 में अय्यप्पन कोविल में गोपालन ने किसानों की जबरन बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया। वह 1962 में गिरफ्तार किए गए और उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। 1963 में उन्होंने बेदखल किए गए किसानों के पुनर्वास को लेकर इदुकी जिले के अमरावती में 12 दिन तक अनशन किया।

1965-66 के दौरान ए.के.जी. को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वर्ष 1969 में ए.के.जी. ने भूमि सुधारों के लिए पुनः संघर्ष छेड़ दिया। 1970 में ए.के.जी. ने केरल में गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया जिसमें पुलिस की गोली और असामाजिक तत्वों के हमले के दौरान अनेक लोग मारे गए थे। 1972 में उन्होंने केरल में अतिरिक्त भूमि के वितरण की मांग को लेकर हुए संघर्ष में भाग लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1975 में वह फिर गिरफ्तार कर लिए गए। वह अपनी अंतिम सांस तक किसानों के हितों से जुड़े रहे। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष होने के नाते ए.के.जी. ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान सभा के सम्मेलनों में हिस्सा लिया और विभिन्न जिलों और ताल्लुकों में हुए सम्मेलनों और अपनी अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलनों में भी भाग

लिया। उन्होंने किसान आंदोलनों और पंजाब में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के ऐसे अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां गरीब किसान और कृषि श्रमिक जमींदारों और पुलिस के क्रूर हमलों का सामना कर रहे थे।

सांसद के रूप में

कामरेड गोपालन 1952 और 1957 में पहली और दूसरी लोक सभा के लिए कन्नूर से चुने गए थे और मार्च 1977 में अपने देहावसान तक लोक सभा सदस्य रहे। वह लंबे समय तक लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता रहे। उन्होंने तीसरी और चौथी लोक सभा में कासरगौड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह पांचवी लोक सभा के सदस्य भी रहे और पालघाट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ए.के.जी. अपने समय में लोक सभा के सबसे अधिक बार निर्वाचित संसद सदस्यों में से थे और वह एक सुयोग्य, सतर्क, अत्यधिक सक्षम और कर्मठ सांसद थे।

एक मंजे हुए सांसद और प्रभावशाली वक्ता के रूप में ए.के.जी. सदन की कार्यवाहियों में गहरी रुचि लिया करते थे। उन्होंने किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, औद्योगिक कामगारों और आम आदमी के हितों का प्रबल समर्थन किया। इसी के साथ-साथ, उन्होंने देश के बीड़ी और सिगार श्रमिकों के कल्याण हेतु भी संघर्ष किया। संसद सदस्य होने के नाते उन्होंने बीड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) विधेयक, 1966 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधेयक पर सदन में चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था:

> "बीड़ी और सिगार उद्योग भारत में घोर परिश्रम वाले उद्योगों में से एक है। कम मजदूरी, रोजगार की असुरक्षा, आंशिक रोजगार, बाल श्रम, तपेदिक के अधिक मामले, संरक्षणकारी श्रम कानून का अभाव, बाह्य कार्य तथा शाखा प्रणाली, इन सब की वजह से यह जरूरी है कि उक्त उद्योग को कारखाना आधार पर विनियमित करने और श्रमिकों के लिए कुछ न्यूनतम कार्य परिस्थितियां निर्धारित करने हेतु तत्काल एक विधान लाया जाए।"

कामरेड गोपालन द्वारा लोक सभा में दिए गए भाषण उनके उच्च वक्तृत्व कौशल को प्रदर्शित करते हैं। वह एक उत्कृष्ट सांसद थे और सदैव लोगों के हितों से जुड़े प्रश्न सभा में उठाते रहते थे। वह मेहनतकश लोगों के समर्थक थे और दलित व

शोषित वर्ग के सबसे बड़े संरक्षक थे। वह हमेशा जनता के लोकतान्त्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे। सभा में चर्चा किए जाने वाले राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत लोकतान्त्रिक व व्यावहारिक होता था। वह विपक्ष का नेता होने के नाते सरकार को सदा रचनात्मक समर्थन देते रहे। तत्कालीन पूर्वी बंगाल में भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली घटनाओं के बारे में 4 दिसंबर, 1971 को लोक-सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था:

> ''कल पाकिस्तान के सैनिकों के एक समूह ने बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में हवाई हमले और बमबारी करके इस देश को एक पूर्ण युद्ध की ओर धकेल दिया है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने बंगलादेश के लोगों के स्वतन्त्रता संघर्ष को समर्थन दिया है, और हमारे दल ने हमेशा यह कहा है कि ऐसी स्थिति में यह राष्ट्र एकजुट होकर उस सैनिक समूह को परास्त करेगा क्योंकि यह बंगलादेश को संघर्ष में विजय दिलाने, इस उप-महाद्वीप में साम्राज्यवाद के खेल को परास्त करने तथा न केवल बंगलादेश अपितु पश्चिमी-पाकिस्तान में भी लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है... हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम बंगलादेश के संघर्ष को पूरे मन से समर्थन देंगे...''

ए.के.जी. को प्रक्रिया नियमों और संसदीय प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। ऐसा अक्सर होता था कि जो सदस्य सभा में पहली बार चुनकर आते थे, सभा में मामले उठाने के लिए प्रक्रिया नियमों के बारे में उनसे परामर्श करते थे। वह एक अनुशासित सांसद भी थे और सभा में महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का सहारा लेते थे। उन्हें यह श्रेय हासिल है कि सत्तापक्ष और अन्य दलों के नेता भी उनका बहुत आदर करते थे और वह जब भी बोलते थे तो उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना जाता था।

कामरेड गोपालन ने अनेक देशों की यात्रा की। 1952 में उन्होंने चीन में पैसेफिक ओशन पीस कान्फ्रेंस में और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस में हिस्सा लिया था। उन्होंने 1957 में काहिरा में हुई अफ्रीकी एशियायी कान्फ्रेंस में भी भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। उन्होंने निकोसिया, साइप्रस में इन्टरनैशनल ट्रेड यूनियन आफ एग्रीकल्चरल लेबर एण्ड फारेस्टरी वर्कर्स यूनियन के सम्मेलन में भी भाग लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, श्रीलंका, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, मिस्र, जर्मनी और पूर्ववर्ती सोवियत संघ का भी दौरा किया था।

बहुसर्जक लेखक

ए.के.जी. ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों से ही पत्रकारिता संबंधी योग्यताओं और लेखन कौशल का परिचय दिया। छात्र के रूप में उन्होंने साहित्यिक सोसाइटियां शुरू कीं और छात्र-पत्रिकाएं प्रकाशित कीं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर मलयालम और अंग्रेजी में व्यापक रूप से लिखा, उनके लेख समाज के समक्ष विभिन्न समसामयिक मुद्दों के बारे में उनकी गहन समझ के प्रमाण हैं। वर्ष 1959 में लारेंस एंड विशार्ट द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक 'केरला, पास्ट एंड प्रेजेंट' एक कार्यकर्ता और आम आदमी से जुड़े राजनेता के साहित्यिक मन को प्रतिबिंबित करती है और संदर्भ पुस्तक के रूप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उनकी एक अन्य प्रमुख कृति 'इन दि काज आफ दि पीपुल—एक आत्मकथा', उस समाज के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की गहन समझ और विश्लेषण को प्रतिबिंबित करती है जिस समाज में वे रहे और उन्होंने कार्य किया। केरल के इतिहास या भारत में वामपंथी आन्दोलन के इतिहास का कोई भी छात्र विभिन्न मुद्दों को समझने में ए.के.जी. की पुस्तकों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इनका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी अन्य पुस्तकों में 'डायरी अबाउट विजिट टु दि सोवियत यूनियन', 'फोर लैंड', 'अराउंड दि वर्ल्ड', 'वर्क इन पार्लियामेंट और कलेक्टेड स्पीचेज' शामिल हैं। वे *प्रभातम्* से उसके प्रबंधक के रूप में तथा केरल में वापमंथी और प्रगतिशील आन्दोलन के मुखपत्र *देशाभिमानी* से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे।

ए.के.जी. की खेलकूद विशेषरूप से फुटबाल और बैडमिंटन में गहन रुचि थी। अध्यापक के रूप में उन्होंने पाथेरी कुंजाम्बू मेमोरियल टूर्नामेंट आयोजित किया। यद्यपि वे परम्परागत दृष्टि से खिलाड़ी नहीं थे किन्तु एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उन्होंने कुछ पदक भी जीते हैं।

ए.के.जी. का जीवन दमन और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के सांचे में ढला। वे जननेता थे तथा जनता के साथ संपर्क के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। जहां कहीं भी लोगों की समस्याएं रहीं, जहां कहीं भी वे दमन के शिकार हुए, ए.के.जी. उनकी सहायता के लिए आगे आते थे। उनके आडम्बरहीन व्यवहार से वह समाज के सभी वर्गों के प्रिय थे। इसीलिए उन्हें निर्धन वर्गों के लिए संघर्षरत लोगों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में जाना जाता था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला गोपालन के घनिष्ठ सहयोग से उन सभी उद्देश्यों के लिए कार्य किया जो उन्हें प्रिय थे। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया। जनता के इस उत्कृष्ट नेता, कामरेड ए.के.जी. का निधन 22 मार्च, 1977 को त्रिवेन्द्रम में हुआ। कामरेड ए.के.जी. की स्मृति में भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 1990 को उनकी छियासीवीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

श्रद्धांजलि

ए.के.जी. के निधन पर संपूर्ण देश ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन पर लोक सभा में 28 मार्च, 1977 को निधन संबंधी उल्लेख किया गया। लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एन. संजीवा रेड्डी ने कहा, "...कुशल सांसद और ओजस्वी वक्ता के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूचि ली। उन्होंने कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों और आम आदमी के हितों के लिए सदैव कार्य किया। ... उनके निधन से देश ने एक महान देशभक्त खो दिया है...।"

तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि ए.के. गोपालन के निधन से देश ने गरीबों के हितों के लिए लड़ने वाले एक महान योद्धा को खो दिया है। उन्होंने जीवनपर्यन्त श्रमिकों को सम्माननीय जीवन के वैध अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ संघर्ष किया। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि ए.के. गोपालन के निधन के समाचार से मुझे गहरा आघात लगा है। उन्होंने कहा, "श्री गोपालन के निधन से राष्ट्र ने जनता के लिए संघर्ष करने वाले तथा दलितों का हितैषी खो दिया है। मेरे लिए श्री गोपालन व्यक्तिगत मित्र और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में महत्वपूर्ण सहयोगी थे। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं तथा उनके परिवार और उनके असंख्य मित्रों और प्रशंसकों को अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं।"

ए.के.जी. के गुणों की सराहना करते हुए आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा था, "यह अत्यधिक दुख की बात है कि जनता की विजय के इन क्षणों में गोपालन जैसे अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है। यदि वे जीवित होते तो वे उन लोगों के लिए शक्ति के स्रोत होते जिनके ऊपर हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली की जिम्मेदारी है।" ए.के.जी. को श्रद्धांजलि देते हुए श्री जगजीवन राम ने कहा था, "श्री गोपालन के निधन से देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी खो दिया है। ...(उन्होंने) न केवल केरल में अपितु संपूर्ण देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने ए.के.जी. को इन शब्दों में श्रद्धांजलि दी: "श्री गोपालन ने गौरवपूर्ण जीवन जिया। उनका जीवन मेहनतकश जनता के प्रति समर्पण और असमानता तथा अन्याय के विरुद्ध सतत् संघर्ष का उदाहरण है। उनका स्वास्थ्य उनके कार्यों के मार्ग में कभी भी आड़े नहीं आया। उन्हें कामगार वर्ग के अग्रणी और महानतम मित्र के रूप में सदैव याद किया जाएगा।" ए.के.जी. को श्रद्धांजलि देते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहा था, "श्री गोपालन उदात्त विचारों की प्रतिमूर्ति थे। उनके निधन से हम सभी ने एक सर्वोत्कृष्ट सांसद और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला व्यक्ति खो दिया है।"

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने एक संकल्प में कहा था, "ए.के. गोपालन.... उन नेताओं में से थे जिन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवाद के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए अथक कार्य किया। पोलित ब्यूरो ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कामगार वर्ग के हित में संघर्ष को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।" भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था, "श्री गोपालन ने अपना संपूर्ण जीवन उन आदर्शों के लिए समर्पित किया जिनसे उन्हें अत्यधिक लगाव था। उनकी स्पष्टवादिता, सत्यनिष्ठा और निर्भीकता के कारण सभी उनका सम्मान करते थे।"

कामरेड ए. के. गोपालन

-चित्रात्मक झांकी-

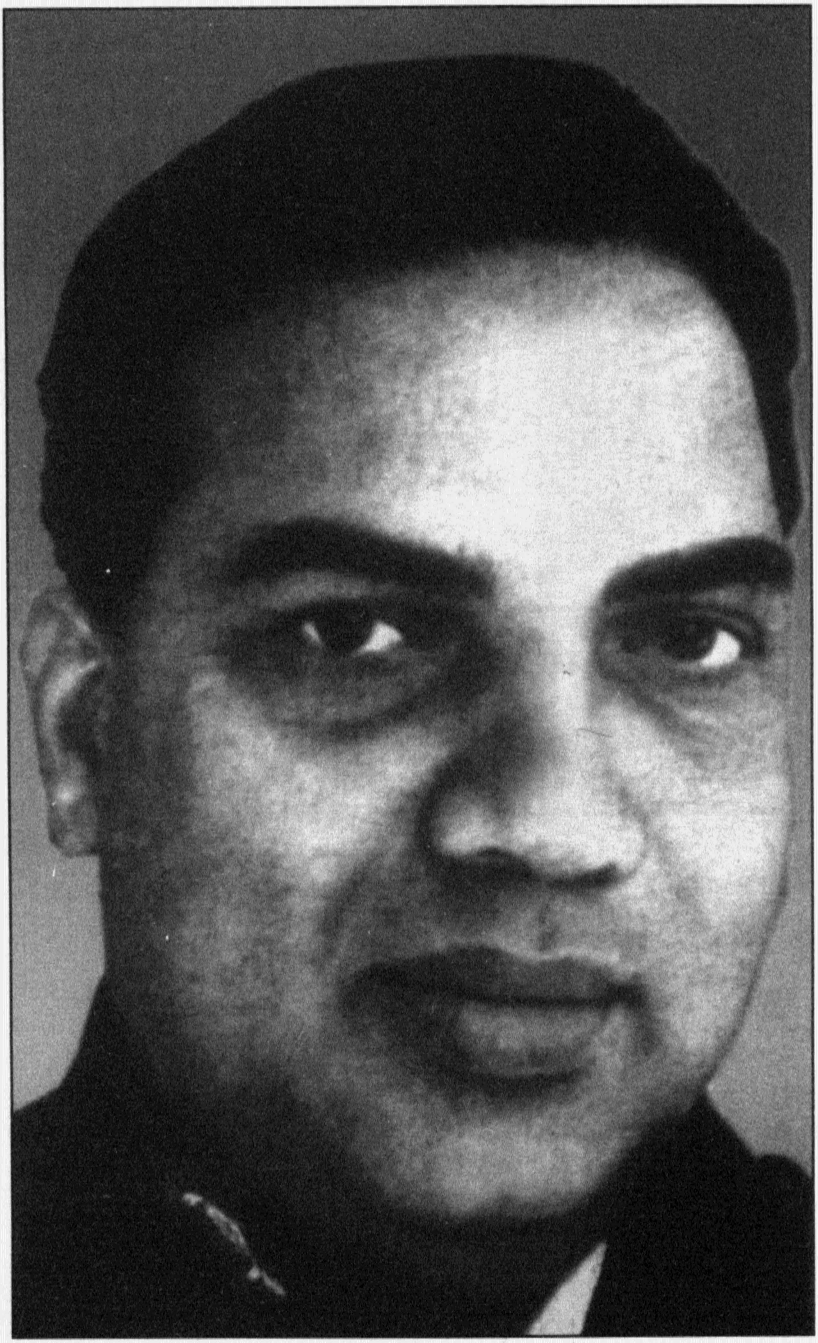

ए के जी युवावस्था में

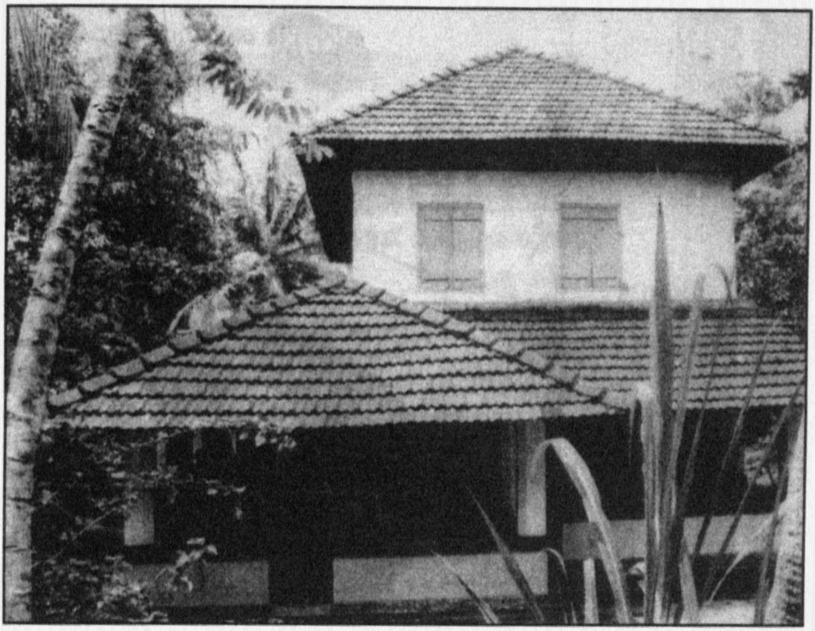

केरल में पेरालस्सेरी स्थित ए के जी का घर

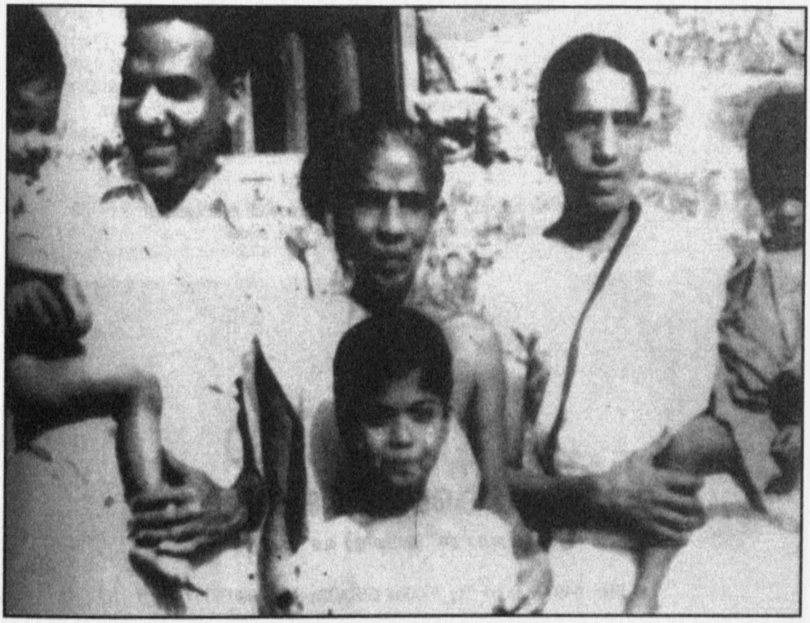

माता और बहन के साथ ए के जी

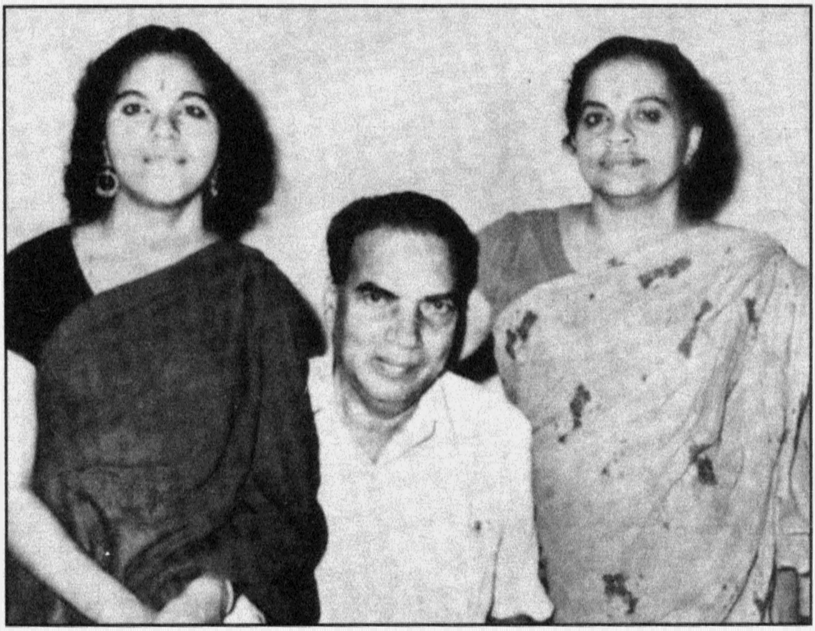

पत्नी सुशीला और पुत्री लैला के साथ ए. के जी

वर्ष 1952 के आम चुनावों में प्रचार करते समय

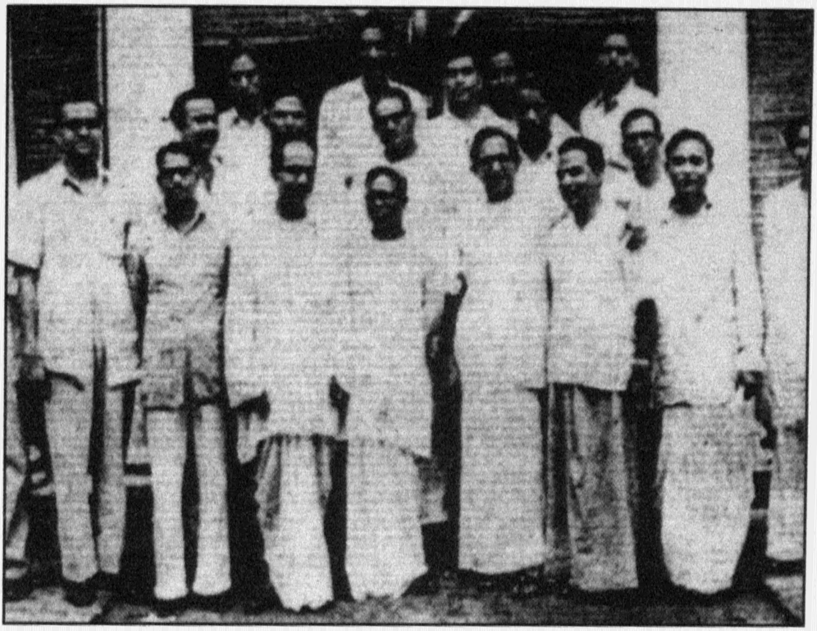

पहली लोक सभा में साम्यवादी दल के सदस्यों के साथ ए के जी

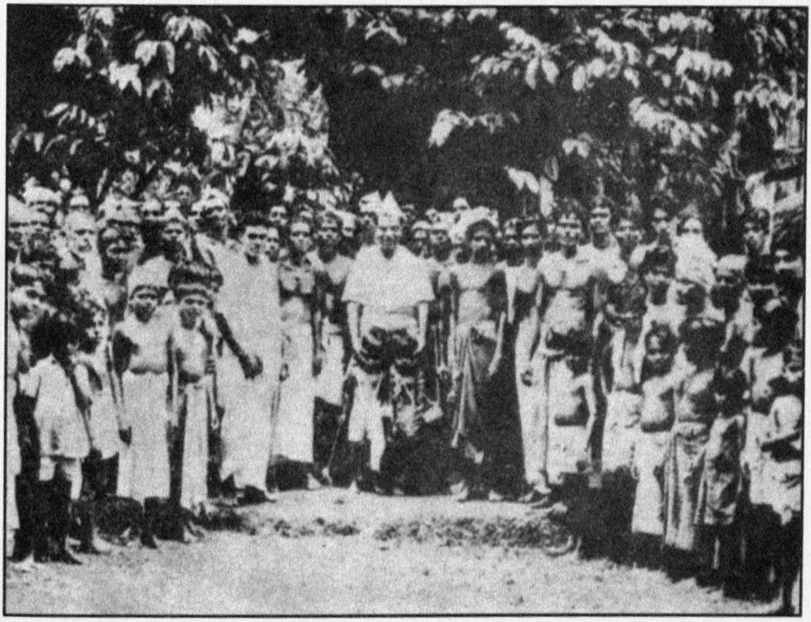

कासरगौड से त्रिवेन्द्रम तक कृषक जत्थे का नेतृत्व करते हुए (खेतिहर मजदूरों का मार्च)

खेतिहर मजदूरों की एक रैली का नेतृत्व करते हुए

खेतिहर मजदूरों के साथ ए के जी

पार्टी-कार्यकर्ताओं के साथ

एक सभा को सम्बोधित करते हुए कामरेड ए के जी

केरल के लिए केन्द्र सरकार की खाद्य नीति के विरुद्ध जून, 1968 में प्रधान मंत्री निवास के बाहर धरना देते हुए ए के जी

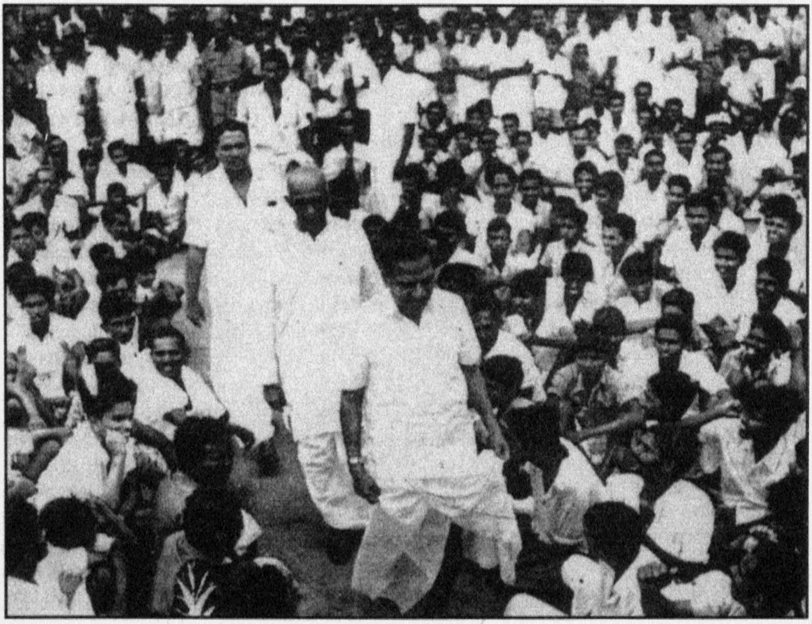

एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करने के लिए आते हुए

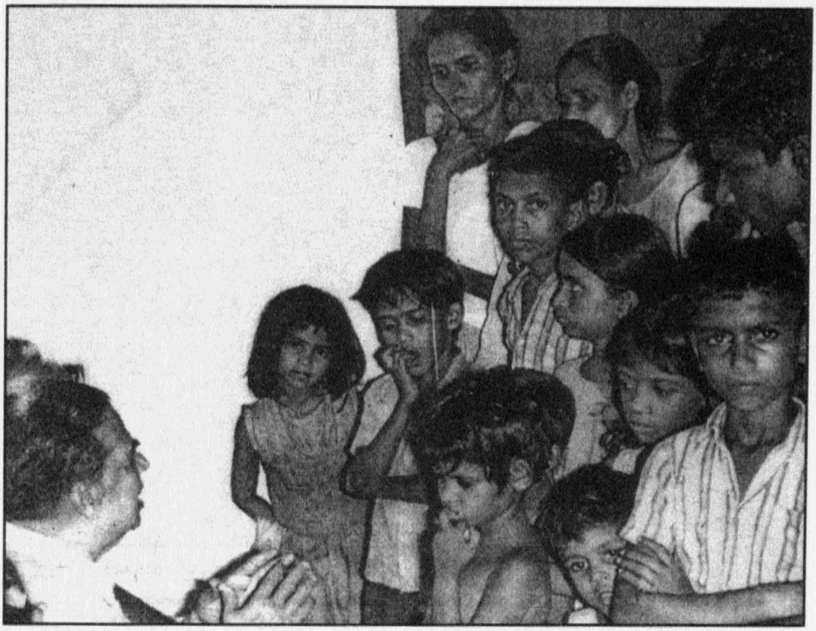

ए के जी कोल्लम, केरल में रेलवे कालोनी में

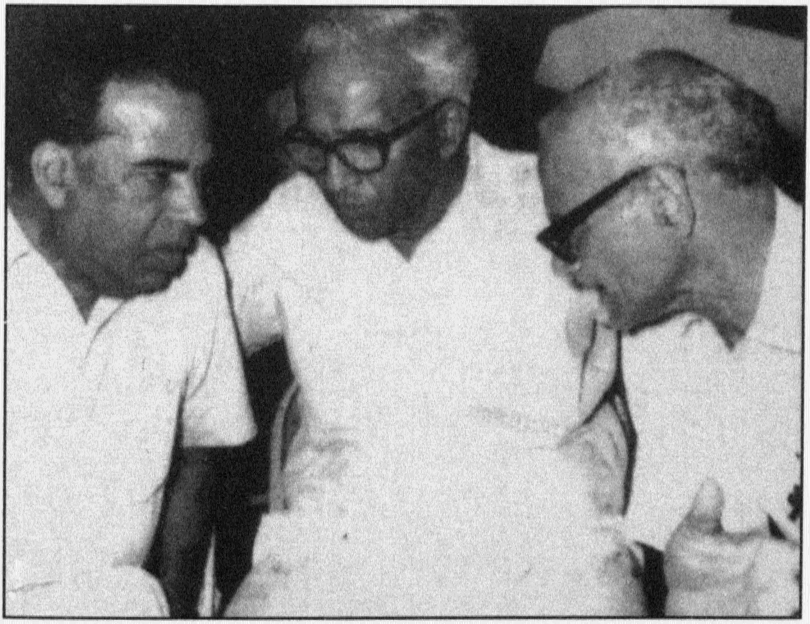

कामरेड ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद और पी. सुन्दरैया के साथ ए के जी

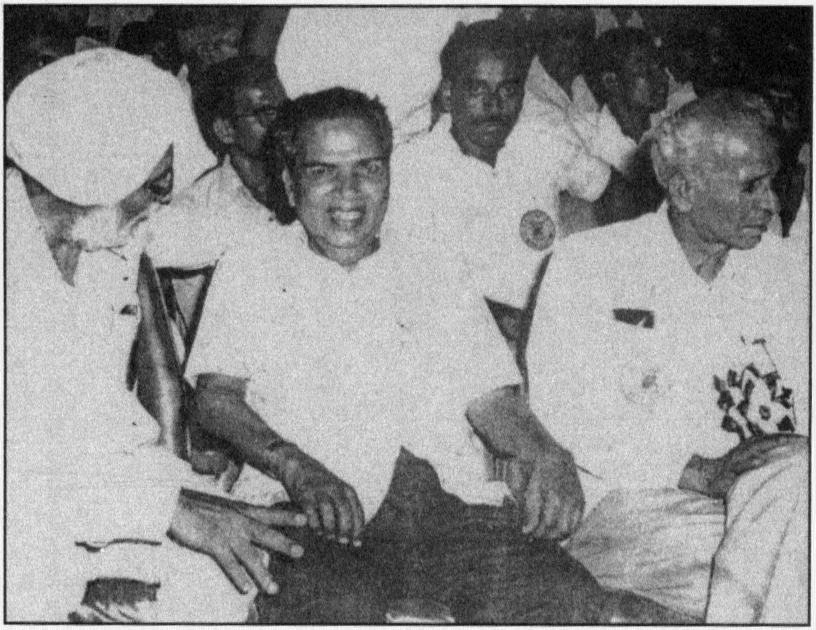

कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत और एस.वाई. कोल्हाटकर के साथ ए के जी

1968 में केरल में भा.क.पा.(मा.) के राज्य सचिवालय के सदस्यों के साथ ए के जी

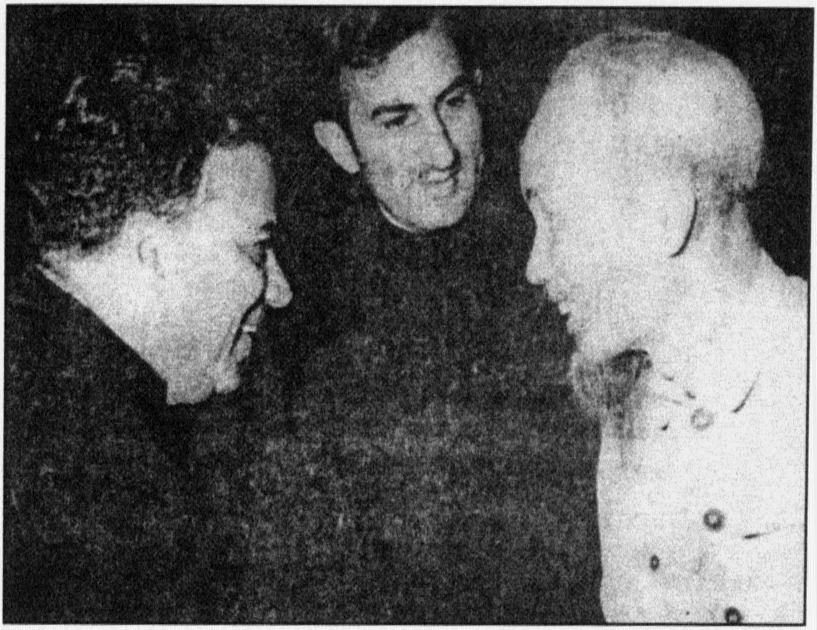

वियतनाम के महान नेता हो ची मिन के साथ ए के जी

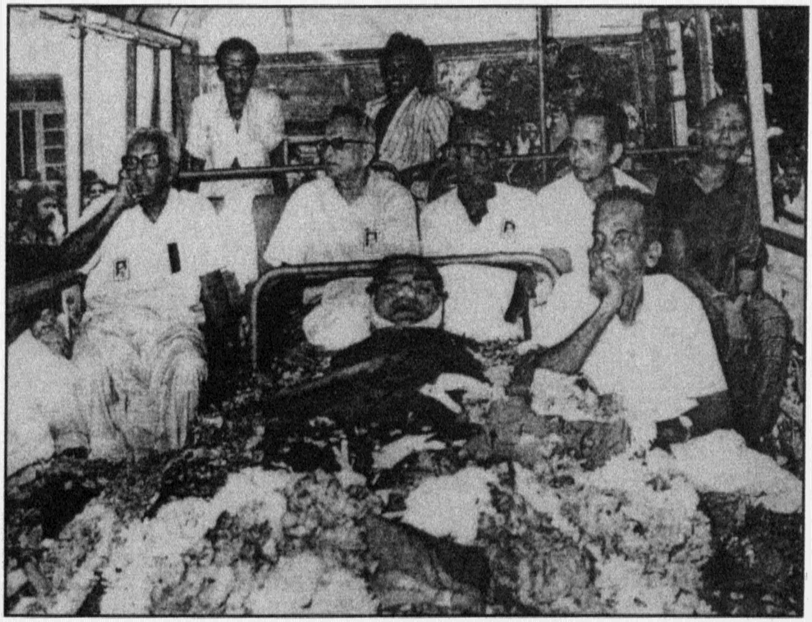

ए.के. गोपालन की अंतिम यात्रा

ए के जी

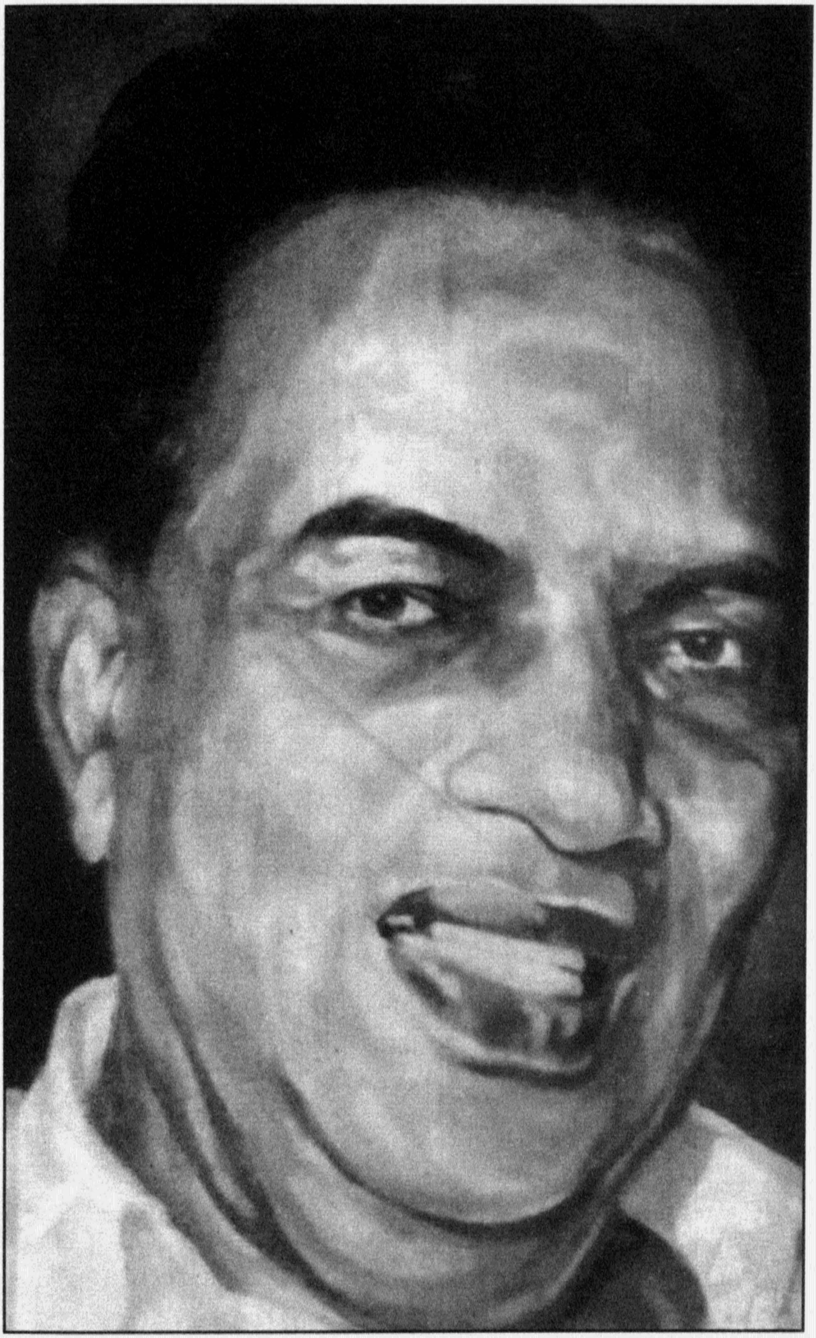

ए के जी

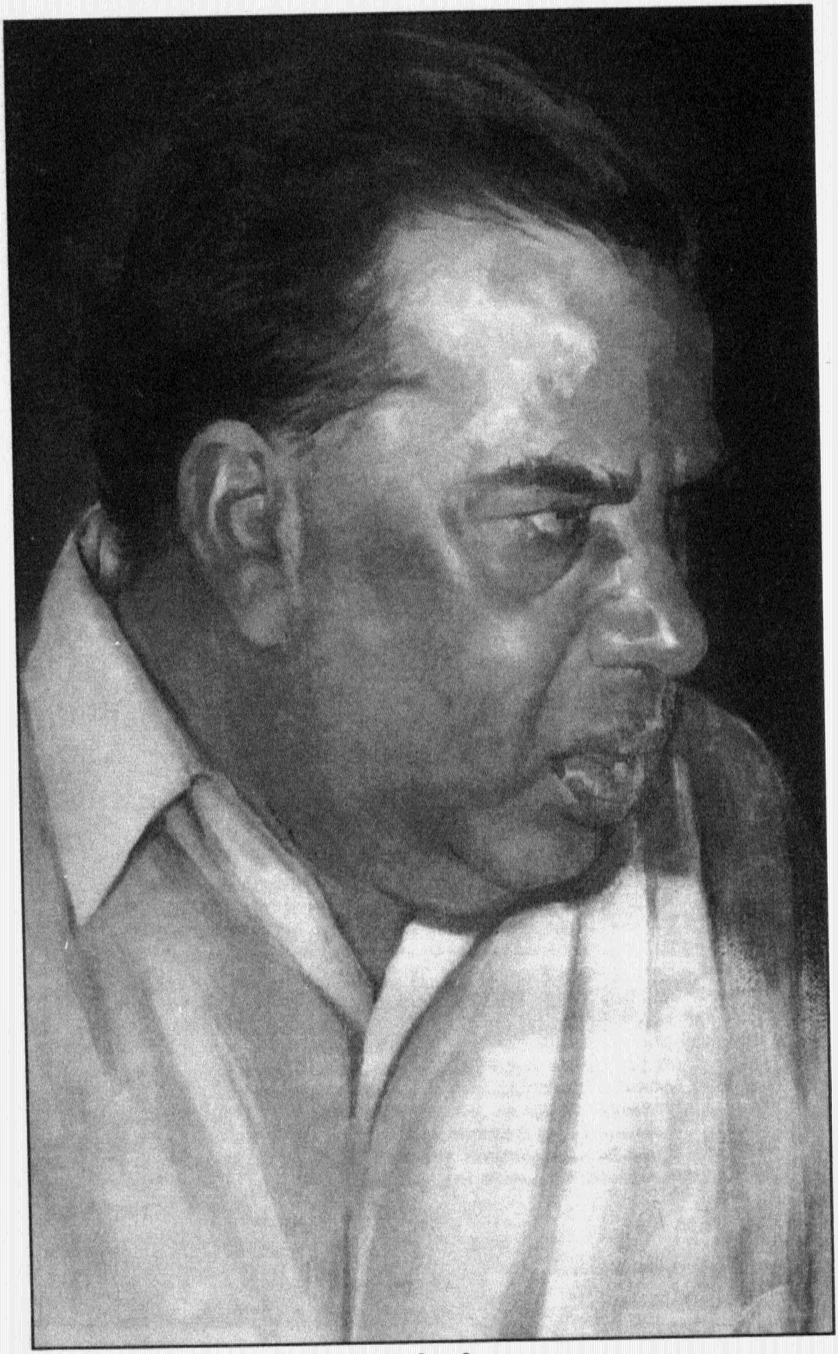

ए के जी

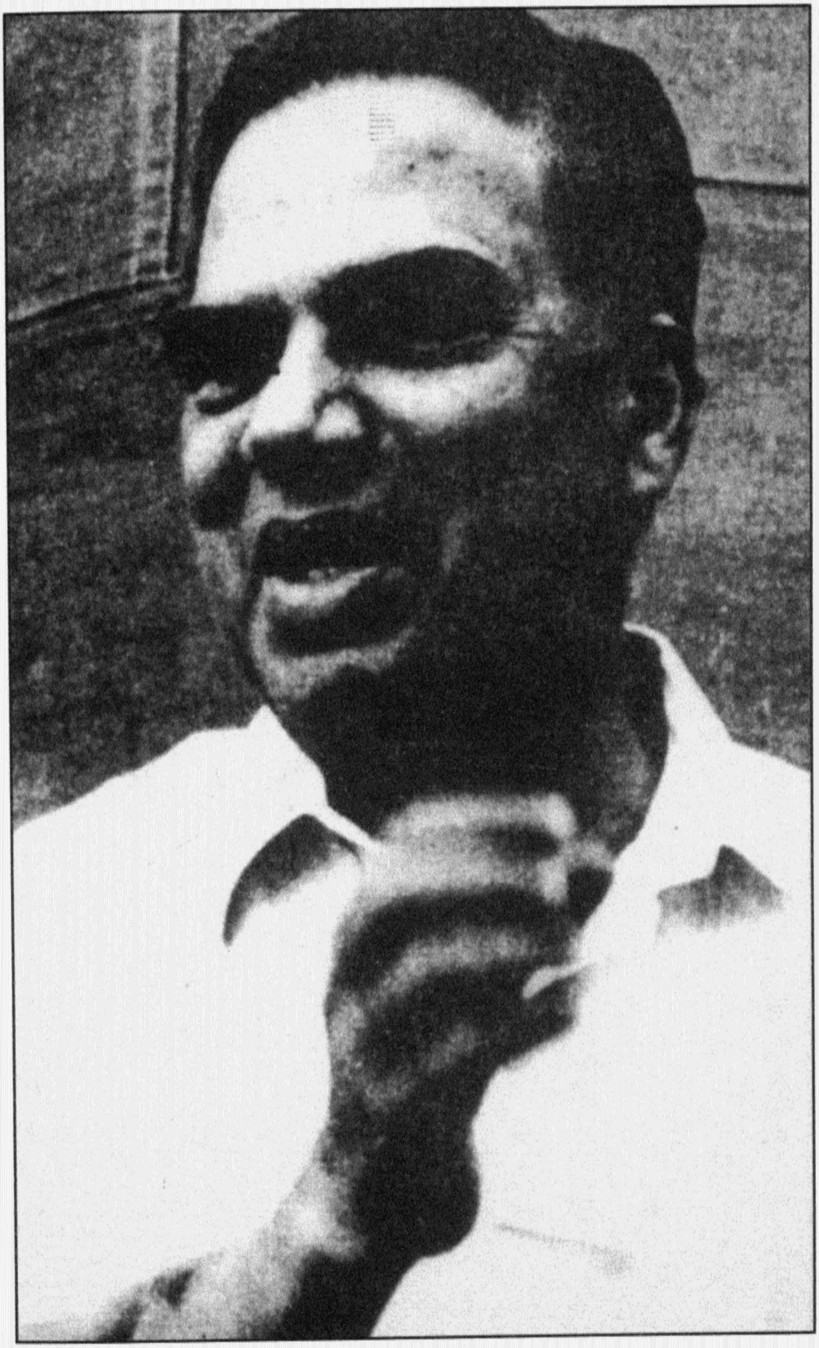

ए के जी